न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी—जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 41 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सांवलाराम पुत्र रणछोड़ा उम्र 50 वर्ष 2. मांगाराम पुत्र रणछोड़ा उम्र 62 वर्ष जाति कुम्हार निवासी अरणीयाली तहसील सिणधरी		1. जुगताराम पुत्र राजाराम उम्र 60 वर्ष 2. कालुराम पुत्र राजाराम उम्र 65 वर्ष 3. ताराराम पुत्र पदमाराम उम्र 50 वर्ष 4. थराराम पुत्र पदमाराम उम्र 45 वर्ष 5. दीपाराम पुत्र नारणाराम उम्र 45 वर्ष 6. बींजाराम पुत्र डायाराम उम्र 32 वर्ष 7. भटाराम पुत्र डायाराम उम्र 30 वर्ष 8. गलबाराम पुत्र रड़माराम उम्र 30 वर्ष 9. बगदाराम पुत्र रड़माराम उम्र 28 वर्ष जाति कुम्हार निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी 10. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. श्री नारायण कुमावत वकील वादीगण।
2. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रतिवादी सं. 3 से 9 की ओर से।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक— 23.07.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 17 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा तथा खसरा संख्या 266 / 41 रकबा 33 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 36 बीघा की अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। कि वर्तमान में जमीनो की किमतो में आई अचानक अप्रत्यक्ष रूप से आई बढ़ोतरी से प्रतिवादीगण की नियत में बदलवान आ गया तथा वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा कर काश्त करने के लिये हमेशा आमद रहने से वादी को यह डर हमेशा बना रहता है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर देगें। प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी पर अपना कब्जा कर वादीगण की भूमि हड़पना चाहते है। लेकिन प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। कि वादी व प्रतिवादीगण के बिच राजस्व रिकार्ड में तरमीम हो रखी है। इसके बावजुद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

प्रतिवादीगण लगाातर वादी की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है। प्रतिवादीगण बदमाश व झगड़ालु प्रवृति के लोग है। जो बार बार वादी की भूमि की तारबन्दी तोड देते है तथा हर बार वादीगण की खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप करते है। कि वादीगण के द्वारा सेढ़ा पर विवाद होने के कारण तहसील कार्यालय सिणधरी से वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। लेकिन उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण उक्त सीमा को नही मानकर वादीगण की खातेदारी की भूमि में जबरन कब्जा करने व वादीगण की भूमि हड़पने की नियत से वादीगण की खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप करते है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर देगे। तब यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करने की आवश्यकता पड़ी। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि मौजा गालानाडी क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 17 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा तथा खसरा संख्या 266/41 रकबा 33 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 36 बीघा में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे तथा न ही किसी प्रकार का निमार्ण आदि स्वयं करे व अन्य किसी से नही करवाये।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 3 से 9 की तरफ से बहस के तथ्यों में कथन किया कि इसी विषय–वस्तु को लेकर उनकी ओर से एक वाद इसी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो अनवान दीपाराम बनाम सावंलाराम मु.नं. 38/2019 दर्ज है, जो वर्तमान में इसी वाद के सलग्न हमफीता है। जिसके अनुसार कि प्रतिवादीगण का खेत मौजा राजस्व ग्राम गालानाडी, पटवार हल्का चाडों की ढाणी में खसरा संख्या 41 रकबा 09–17 बीघा का आया हुआ है। कि उक्त भूमि पर बादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा सेटलमेन्ट के पूर्व से लेकर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। कि वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खेत होने से और वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त खेत को थोड़े समय पहले खरीद कर खातेदार बने है और अपना खेत थोड़े समय पहले जरिये सहमति से मौके का बहमी बंटबाड़ा किया गया था, और अपने कब्जे काश्त के आधार पर खेत में काश्त करते आ रहे है, मौके पर किसी प्रकार का नाप वगैरा या नेखमबन्दी आदि नहीं किया हुआ है। कि वादी ने अपने खेत का बिना किसी [illegible] के खेत की जो पुरानी मातें व अपनी सीमा के निशान के रुप में जो [illegible] आदि [illegible] हुई है जिसको धीरे धीरे बिखेरना शुरु कर दिया और [illegible]त रुप से वादी [illegible] के खेत में प्रवेश करना शुरु दिया व प्रतिवादीगण के खे[illegible] शुरु कर दिया है। जबकि वादीगण अपनी मन मर्जी के आधार पर प्रतिवादीगण को परेशान कर रहा है और अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने या अपने खेत का सीमा ज्ञान करवाने या पटवारी से खेत को नपवाने के लिये किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है। अतः स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध वादीगण इस आशय की सादिर फरमाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

जावें कि वादी प्रतिवादीगण के खातेदारी खेत मौजा राजस्व ग्राम गालानाडी पटवार हल्का चाडों की ढाणी में खसरा संख्या 41 रकबा 09–17 बीघा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश न करें। तथा वादीगण प्रतिवादीगण के खेत में जो पुरानी मांठ व सीमा के रुप में जो वादीगण की और से पुरानी बाड़ बनाई हुई है उसे न बिखेरे व वादी के खेत से पेड़ो को न काटे और न ही बरसात के समय प्रतिवादीगण के कब्जे में खेती करने का प्रयास करें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी के विद्वान वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 17 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा तथा खसरा संख्या 266/41 रकबा 33 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 36 बीघा की अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। कि वर्तमान में जमीनो की किमतो में आई अचानक अप्रत्यक्ष रूप से आई बढ़ोतरी से प्रतिवादीगण की नियत में बदलवान आ गया तथा वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा कर काश्त करने के लिये हमेशा आमद रहने से वादी को यह डर हमेशा बना रहता है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर देगे। प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी पर अपना कब्जा कर वादीगण की भूमि हड़पना चाहते है। लेकिन प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। कि वादी व प्रतिवादीगण के बिच राजस्व रिकार्ड में तरमीम हो रखी है। इसके बावजुद भी प्रतिवादीगण लगाातर वादी की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हे। प्रतिवादीगण बदमाश व झगड़ालु प्रवृति के लोग है। जो बार बार वादी की भूमि की तारबन्दी तोड देते है तथा हर बार वादीगण की खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप करते है। कि वादीगण के द्वारा सेढ़ा पर विवाद होने के कारण तहसील कार्यालय सिणधरी से वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। लेकिन उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण उक्त सीमा को नही मानकर वादीगण की खातेदारी की भूमि में जबरन कब्जा करने व वादीगण की भूमि हड़पने की नियत से वादीगण की खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप करते है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर देगे। तब यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करने की आवश्यकता पड़ी। अतः [illegible] वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जा[illegible] मौजा गालानाडी क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 17 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा तथा खसरा संख्या 266/41 रकबा 33 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 36 बीघा में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे तथा न ही किसी प्रकार का निमार्ण आदि स्वयं करे व अन्य किसी से नही करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर अपनी बहस में हमफिता पत्रावली में चाही गई इस्तदुआ के अनुसार दोनों पक्षों को अपनी–अपनी खातेदारी की जोत के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं किये जाने पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मौजा गालानाडी पटवार हल्का चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 17 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा तथा खसरा संख्या 266/41 रकबा 33 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 36 बीघा वादीगण की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की है तथा इसके लगती हुई प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 09–17 बीघा आई हुई है। वादीपक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष मूल खेत खसरा संख्या 41 के ही खातेदार है, जहां तक वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान के आवेदन में मौका स्थिति एवं वास्तविक कब्जे काश्त के सन्दर्भ में प्रतिवादी पक्ष द्वारा उजर एतराज किये जाने का प्रश्न है, साथ ही वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे काश्त में जरिये हस्तक्षेप के मौके पर खड़े पेड़ पौधो को काटने एवं पुरानी माठे व सीमा के निशान को बिखेरने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी एकपक्षीय कार्यवाही के जरिये पत्रावली में अपनी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों में साबित करने में सफल रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भी अपनी जोत के कब्जा काश्त में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं किये जाने की इस्तदुआ का प्रस्तुत प्रकरण जो हमफिता दर्ज है। ऐसी स्थिति दोनों प्रकरणों में दोनों पक्षों को एक–दूसरे की खातेदारी जोत की सीमा तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद एवं प्रतिवादी का हमफिता प्रकरण सं. 38/2019 अनवान दीपाराम बनाम सावंलाराम स्वीकार किया जाकर मौजा गालानाडी पटवार हल्का चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 17 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा तथा खसरा संख्या 266/41 रकबा 33 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 36 बीघा व खसरा संख्या 41 रकबा 09–17 बीघा के संबंध में दोनों पक्ष एक–दूसरे के खातेदारी जोत की सीमा तक की कब्जे काश्त की मौका स्थिति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा [illegible] किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पत्र जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी